

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक :- 6/भ0नि0अ0-16-03/2022
सेवा में,

पटना, दिनांक :-.....

सहायक निदेशक/आयुक्त,
सामान्य भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना।

विषय :- श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, राज्य-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना का सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या BHR/BFS-879 से अपने पुत्र की शिक्षा हेतु रू0-3,00,000/- (तीन लाख) मात्र अप्रत्यापणीय (Non Refundable) अग्रिम की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन-2) नियमावली, 2017 की कंडिका-4, (2), (क) (ii) के अधीन अपने पुत्र की शिक्षा के लिए अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती कुजूर के उपर्युक्त अग्रिम की निकासी के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-12443 वि० दिनांक-05 अक्टूबर, 1972 के अनुसार महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
3. विभाग इनके संचित राशि से संतुष्ट है।
4. उक्त राशि की निकासी के लिए राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
5. विपत्र कोड संख्या- L-8009011010001 है।
6. उक्त राशि का भुगतान श्रीमती कुजूर के खाता संख्या-11042072099 (IFSC Code-SBIN0000152) में किया जायेगा।
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 6/भ0नि0अ0-16-03/2022.1923 / पटना, दिनांक-27/05/26

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवलाय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, राज्य-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।